

# भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

सं. ईसीआई/प्रेस नोट/55/2015

दिनांक: 17 सितम्बर, 2015

## प्रेस नोट

**विषय: बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015 - निर्वाचन के पांचवे चरण के लिए संशोधित अनुसूची - तत्संबंधी।**

भारत निर्वाचन आयोग ने दिनांक 9 सितम्बर, 2015 के अपने प्रेस नोट सं. ई सी आई/प्रेस नोट/53/2015 के द्वारा बिहार विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015 की घोषणा कर दी है। अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने पांचवे चरण के निर्वाचन के लिए नामांकन की संवीक्षा हेतु तारीख को संशोधित करके 16.10.2015 रखने का निर्णय लिया है। निर्वाचन के पांचवे चरण की संशोधित अनुसूची निम्नलिखित अनुसार है:-

1	अधिसूचना जारी करना	08.10.2015(गुरुवार)
2	नामांकन भरने की अंतिम तारीख	15.10.2015(गुरुवार)
3	नामांकनों की संवीक्षा की तारीख	16.10.2015(शुक्रवार)
4	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	19.10.2015(सोमवार)
5	मतदान की तारीख	05.11.2015(गुरुवार)
6	मतगणना की तारीख	08.11.2015(रविवार)
7	वह तारीख जिससे पहले निर्वाचन सम्पन्न हो जाएगा	12.11.2015(गुरुवार)

(सुमित मुखर्जी)

सचिव